

FORM NO. III

उपखण्ड अधिकारी

2022/114

उपखण्ड अधिकारी (विद्युत 26)

अज अदालत

बडीसादडी जि. बिलासपुर

मुकदमा

कैफ़ी

वनाम

कैफ़ी

किस्म मुकदमा

अ.पत्र 128

68/2022

सन्

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही पर अभिव्यक्त ज्ञान</p>	<p>नम्बर व नारायण अहकाम जो इस हुक्म की तमिल में जारी हुए</p>
<p>9/5/22</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय वहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... ग्राम..... आ.न. 41 की क्षेत्र. क्षेत्र 1.598 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 2000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर स कम हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

